बोनी एना जॉर्ज

बनाम

भारत की चिकित्सा परिषद और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 986/2013)

सितंबर 18,2014

[फकीर मोहम्मद जे. इब्राहिम कलीफुल्ला जे.और शिवा कीर्ति सिंह, जे.]

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 32 – मेडिकल छात्र द्वारा यह रिट याचिका दयार कि गयी -निर्देश देने के लिए मैंडमस की रिट मांगी गई मेडिकल कॉलेज और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसे अनुमति दे अपने पीजी पाठ्यक्रम को एम. डी. पैथोलॉजी से एम. डी. जनरल चिकित्सा में बदलने के लिए एन. आर. आई. कोटे के तहत उपलब्ध खाली सीट पर -आयोजितः तथ्यों पर, याचिकाकर्ता को वंचित कर दिया गया था एम. डी. जनरल में उपलब्ध एन. आर. आई. सीट चुनने का अवसर तीसरी परामर्श के दौरान, इस प्रकार पूरी तरह से अनुचित थी-हालाँकि, यह देखते हुए कि प्रवेश अनुसूची भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा तय किया गया है और यह न्यायालय किया जा रहा है इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुसूची और अनुरोध के अनुसार निर्देश दें याचिकाकर्ता द्वारा-हालाँकि, हुए गंभीर अन्याय को देखते हुए याचिकाकर्ता के लिए जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी निहित है मेडिकल कॉलेज को जारी किया गया निर्देश रुपये का भुगतान करें 5 लाख और रुपये वापस 13,000, द्वारा भुगतान की गई राशि एम. डी. पैथोलॉजी-शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान के पीजी पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश के लिए याचिकाकर्ता- चिकित्सा शिक्षा.

आंशिक रूप से रिट याचिका की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया।

1.1 प्रतिवादी संख्य 2 द्वारा अपनाया गया पाठ्यक्रम उत्तरदाता ने अंततः याचिकाकर्ता को वंचित कर दिया उसकी पसंद के पाठ्यक्रम को चुनने का मूल्यवान अधिकार, जो बहुत उपलब्ध था और का अयोग्य आचरण और बेहद गैरजिम्मेदार था और असहनीय गहरी पीड़ा व्यक्त की जाती है जबकि दूसरे के ऐसे निंदनीय आचरण को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के अधिकार से निपटने में प्रतिवादी ऐसे आकस्मिक तरीके से जिससे वह हो गई थी जुनून से इंतजार करना और वह कोर्स जो बहुत अच्छा था उसके विकल्प के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। [पैरा 25,26] [1234-बी-डी]

1.2 एन. आर. आई. सीट के लिए निर्धारित शुल्क अमेरिकी डॉलर है। 1,25,000 जो लगभग रू.75 के बराबर है 'ए' श्रेणी के उम्मीदवार के लिए रु.3,98,000/- के वार्षिक शुल्क, रिफंड नियमों के अनुसार, जब कोई व्यक्ति प्रवेश की अंतिम तिथि पर सीट खाली कर देता है, वह इसके अलावा पूरे प्रशासनिक शुल्क द्वारा किए गए और कोई अन्य व्यय संस्था उम्मीदवार की ओर शुल्क की वापसी का हकदार है। लेकिन इस तरह यदि सीट खाली हो जाती है तो पूरा शुल्क वापस करने की आवश्यकता नहीं है उम्मीदवार को संस्थान द्वारा भरा नहीं जा सका। इसलिए, जब एम. डी. जनरल मेडिसिन की एन. आर. आई. सीट खाली किया गया था और यदि सीट किसी उम्मीदवार द्वारा भरी गई थी 'ए' श्रेणी का तब दूसरा उत्तरदाता बाध्य होगा एन. आर. आई. उम्मीदवार द्वारा भुगतान किए गए पूरे शुल्क को वापस करने के लिए प्रशासनिक खर्च और अन्य खर्च उम्मीदवार की ओर। चूंकि, दूसरा उत्तरदाता अंततः सीट नहीं भरने और इस तरह धनवापसी नियमों को लागू करने में सफल रहा, संबंधित एन. आर. आई. उम्मीदवार को पूरे शुल्क के साथ वापस करने की आवश्यकता नहीं है इस

आधार पर कि उनके द्वारा खाली की गई सीट को भरा नहीं जा सका दूसरे उत्तरदाता द्वारा। संदेह करने के लिए बहुत कुछ है में दूसरे प्रतिवादी के आचरण के संबंध में याचिकाकर्ता को चुनने के अपने अधिकार का प्रयोग करने से वंचित करना उपलब्ध एन. आर. आई. श्रेणी की सीट, जबकि कानून में, उसके पास थी इस तरह के विकल्प की तलाश करने का हर अधिकार। इसके अलावा, करने में दूसरे उत्तरदाता का आचरण चौथी परामर्श आयोजित करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन 07.08.2013 पर जिसे इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, यह भी सुझाव देता है दूसरे उत्तरदाता का रुख में ईमानदारी की पूरी कमी थी। [पैरा 27] [1234-ई-एच; 1235 - ए-ई]

1.3 दूसरा उत्तरदाता स्पष्ट रूप से था न केवल अपने लिए बल्कि अपने लिए भी एक झूठी आशा पैदा करना उम्मीदवार मानो पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हों उम्मीदवारों के हित में इसके द्वारा लिया गया। इसलिए, दूसरे उत्तरदाता द्वारा गंभीरता से अपनाया गया पाठ्यक्रम अपने दृष्टिकोण में प्रामाणिकता की कमी थी। [पैरा 28] [1235-जी-एच]

1.4 निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, वंचित करना उपलब्ध एन. आर. आई. का विकल्प चुनने का अवसर का याचिकाकर्ता। तीसरे के दौरान एम. डी. जनरल मेडिसिन में सीट परामर्श पूरी तरह से अनुचित था। याचिकाकर्ता ने दूसरे प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए मैंडमस की मांग की गई उसे एम. डी. पैथोलॉजी से पी. जी. पाठ्यक्रम स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए एम. डी. जनरल मेडिसिन को उपलब्ध खाली सीट पर। हालांकि, दूसरा प्रतिवादी पूरी तरह से अनुचित था उक्त खाली सीट को उपलब्ध नहीं कराने में याचिकाकर्ता, चिकित्सा द्वारा निर्धारित प्रवेश अनुसूची के रूप में भारतीय परिषद और इस न्यायालय को ईमानदारी से देखा जा रहा है इसके

बाद, उल्लंघन करने के लिए कोई असाधारण स्थिति नहीं है इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उक्त अनुसूची। समय सारिणी इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और कोई मध्य धारा नहीं होनी चाहिए याचिकाकर्ता। हालांकि, कब्र को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता के साथ अन्याय हुआ जिसके लिए पूरे जिम्मेदारी दूसरे उत्तरदाता पर है, दूसरा रुपये. 5,00,000/- की राशि वापस करने के अलावा रू.13,000/- जिसे याचिकाकर्ता को उसके लिए भुगतान करना पड़ा एम. डी. के उसी पी. जी. पैथोलॉजी पाठ्यक्रम में प्रवेश। [पैरा 29] [1236-ए-जी]

सिविल मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं. 986/2013 से।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

वी. के. बीजू, सुश्री भावना सिंह देव, अधिवक्ता याचिकाकर्ता के लिए।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, संजय मिश्रा, राकेश के. शर्मा, गौरव शर्मा, प्रतीक भाटिया, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, जे द्वारा दिया गया था ।

1. याचिकाकर्ता जो क्रिश्चियन मेडिकल लुधियाना में शामिल हुआ है कॉलेज, (इसके बाद के रूप में संदर्भित प्रतिवादी 'द्वितीय") पी. जी. पाठ्यक्रम अर्थात एम. डी. पैथोलॉजी में आया है। इस रिट याचिका के साथ एक रिट ऑफ मैंडमस जारी करने की प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें जिसमें उत्तरदाताओं को उसे अनुमति देने का निर्देश दिया गया हो अपना पी. जी. पाठ्यक्रम एम. डी. पैथोलॉजी से एम. डी. जनरल में स्थानांतरित करने के लिए एन. आर. आई. कोटे के तहत उपलब्ध खाली सीट पर दवा महाविद्यालय के भीतर। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह शामिल हुई पी. जी. पाठ्यक्रम

एम. डी. शैक्षणिक वर्ष में पैथोलॉजी 2013-14 दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा जारी विवरण पत्रिका के आधार पर प्रायोजित श्रेणी 'ए' से संबंधित होने का दावा करती है। तर्क दिया कि प्रवेश परीक्षा में सफलता के बाद जिसमें उन्होंने 'ए' श्रेणी में तेरहवीं रैंक हासिल की। 21.05.2013 पर पहली परामर्श में भाग लिया, कि हालांकि उनकी पहली प्राथमिकता एम. डी. जनरल मेडिसिन थी, क्योंकि वहाँ था श्रेणी 'ए' में उनके पद के लिए कोई सीट उपलब्ध नहीं थी, उन्होंने स्वीकार किया एम. डी. पैथोलॉजी और पूरे शुल्क का भुगतान किया (रु. 3. 98 लाख) और शामिल हुए पाठ्यक्रम 28.05.2013 पर आयोजित दूसरी परामर्श को कहा गया था। हालांकि एम. डी. में एक सीट खाली थी। जनरल मेडिसिन, उच्च रैंक धारक के रूप में, अर्थात्, क्रिस बेबी परनायिल, जो बारहवीं रैंक में था, ने उक्त को चुना एम. डी. जनरल मेडिसिन की खाली सीट, याचिकाकर्ता ने नहीं की दूसरी परामर्श में कोई भी प्रयास करें। इसके बाद, तीसरी परामर्श 31.07.2013 पर निर्धारित की गई थी। जिस पर 30.07.2013 की शाम, दूसरे उत्तरदाता के बाद से वेबसाइट में नीचे दो रिक्तियों की उपलब्धता प्रदर्शित की गई है एन. आर. आई. कोटा, अर्थात्, एम. डी. एनेस्थीसिया और एम. डी. जनरल चिकित्सा, याचिकाकर्ता ने रू.13,000/ का आवश्यक शुल्क का भुगतान किया। तीसरी परामर्श में भाग लेने के लिए, जैसे कि बारहवीं रैंक धारक सीटों तक श्रेणी 'ए' पहले से ही थी दूसरे में प्रयोग किए गए उनके विकल्पों के आधार पर आवंटित किया गया था एम. डी. जनरल मेडिसिन के लिए परामर्श और वह अगली योग्यता का क्रम अर्थात तेरहवीं श्रेणी में थी।

2. 31.07.2013 पर, याचिकाकर्ता ने तीसरे में भाग लिया परामर्श दिया और कहा कि दूसरे उत्तरदाता ने घोषणा की कि उपलब्ध एन. आर. आई. रिक्त सीटों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा परिस्थिति याचिकाकर्ता को बहुत विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया गया था वही सीट जिसे उन्होंने शाम को खाली करने का फैसला किया था

30.07.2013 या अन्यथा उसे एक तीखी स्थिति में रखा गया था जिसमें वह वह सीट भी हार गई होंगी। याचिकाकर्ता, इसलिए, तर्क दिया कि दूसरे के अवैध आचरण से एम. डी. जनरल मेडिसिन की उपलब्ध खाली सीट को एन. आर. आई. श्रेणी से प्रायोजित श्रेणी में स्थानांतरित नहीं करने में प्रतिवादी श्रेणी 'ए' तीसरी परामर्श के दिन के दौरान, याचिकाकर्ता को चुनने के उसके मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया गया था निश्चित रूप से कहा। उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस रिट याचिका के साथ आगे आया है राहत जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। इस रिट याचिका का विरोध किया गया था दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा विरोध में एक जवाबी हलफनामा दायर करके रिट याचिका में दावा किया गया।

3. याचिकाकर्ता ने इसमें निहित प्रावधानों पर भरोसा किया 'खाली सीटों को भरना' शीर्षक के तहत विवरण पत्रिका विवरणिका के उक्त भाग के अनुसार, शर्त में निहित है इसमें यह था कि सभी उम्मीदवार जिन्होंने ईसाई को मंजूरी दी मेडिकल कॉलेज-पीजी प्रवेश परीक्षा (उन सहित) जिन्होंने पहले ही क्रिश्चियन मेडिकल में प्रवेश ले लिया है महाविद्यालय और वे जो पूर्व में अनुपस्थित थे परामर्श), रिक्त होने वाली सीटों के लिए पात्र होंगे। यह यह भी कहा कि तीसरी परामर्श के दौरान रिक्त सीटें पहले से ही भर्ती किए गए उम्मीदवारों से पाठ्यक्रमों के स्थानांतरण के कारण तुरंत घोषणा की जाएगी और इसे पेश किया जाएगा अगला मेधावी उम्मीदवार। इसमें आगे कहा गया है कि एन. आर. आई. श्रेणी में आने वाली रिक्त सीटों को इनमें से भरा जाएगा। प्रायोजित श्रेणी रू.13,000 का प्रशासनिक शुल्क उन उम्मीदवारों से शुल्क लिया जाएगा जो पहले से ही भर्ती थे लेकिन किसी भी अवधि के दौरान पाठ्यक्रम को स्थानांतरित करने का विकल्प चुन रहे थे।

4. दूसरे की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में प्रत्यर्थी, यह इंगित किया गया था कि के खंड 10 के अनुसार विवरण पत्रिका में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार किसी भी पी. जी. में प्रवेश लेने के बाद परामर्श क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, लुधियाना में पाठ्यक्रम को पहले करना होगा। वर्तमान पाठ्यक्रम सीट को पिछले दिन शाम 5 बजे तक खाली कर दें (जैसे नियमों के अनुसार) और उस सीट को परामर्श के लिए भी रखा जाए। आगे जवाबी हलफनामे में तर्क दिया कि रिक्तियों में विशेष श्रेणी को पहले प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। उस श्रेणी के उम्मीदवार, खाली सीटें, यदि कोई हों, स्थानांतरित कर दिया।

5. इसलिए, यह तर्क दिया गया कि 30.07.2013 पर, एन. आर. आई. श्रेणी में रिक्तियों को प्रदर्शित करने वाली सूचना प्रकाशित की गई थी एन. आर. आई. उम्मीदवारों की खातिर और याचिकाकर्ता ऐसा नहीं कर सकता द्वारा श्रेणी 'ए' से एन. आर. आई. श्रेणी में सीटों के स्थानांतरण का दावा इस न्यायालय के दिनांकित 30.07.2013 आदेश का उल्लेख करते हुए। इस पर इस समय यह बताना होगा कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रतिबंध निर्धारित करते हुए। यह तब था तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने दूसरे से संपर्क किया तीसरी परामर्श के अंत में देर शाम उत्तरदाता जब उन्हें रिट याचिका के बारे में सूचित किया गया, अर्थात्, डब्ल्यू. पी. (सी) सं.433/2013 जिसे 01.08.2013 पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए आवेदन के साथ और कि एम. डी. जनरल मेडिसिन की सभी सीटें पहले से ही थीं भरा हुआ। इस आशय का एक और बयान दिया गया कि बारह रैंक धारक थे और यदि कोई सीट एम. डी. में उपलब्ध है। सामान्य चिकित्सा, जो केवल उन श्रेणी के लोगों को दी जाएगी धारक जो याचिकाकर्ता से ऊपर थे और एन. आर. आई. उम्मीदवारों को उन सीटों की

पेशकश करने की संभावना और केवल इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा पाठ्यक्रम का स्थानांतरण हो सकता था विचार किया गया।

6. श्री गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील, की ओर से उपस्थित हुए दूसरा प्रत्यर्थी पूर्वनिर्धारित कथनों को महसूस कर रहा है 02.12.2013 पर पहले दाखिल किए गए जवाबी हलफनामे में निहित, एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करना चाहता था और उसके बाद दूसरे उत्तरदाता की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र था 28.08.2014 पर दाखिल किया गया। अतिरिक्त हलफनामे में कुछ हद तक दूसरे उत्तरदाता की ओर से अलग रुख अपनाया गया था। स्टैंड का विस्तृत संदर्भ देना प्रासंगिक होगा। दूसरे प्रत्यर्थी ने अब अतिरिक्त शपथ पत्र में कहा है, जहाँ तक हम महसूस करते हैं कि दूसरे उत्तरदाता का रुख विशिष्ट प्रिस्क्रिप्शन में विचार करने की आवश्यकता है विवरणिका में निहित है कि कोई खाली सीट कैसे उत्पन्न होती है एक विशेष पद्धति के बाद की परामर्श में निम्नलिखित द्वारा भरा जाना थाः

7. 28.08.2014 दिनांकित अतिरिक्त हलफनामे में, यह था तर्क दिया कि जब तक तीसरी परामर्श लेनी थी। 31.07.2013 पर जगह, में दो सीटें थीं एन. आर. आई. श्रेणी को भरा जाना है। यह भी कहा गया था कि मूल रूप से एन. आर. आई. श्रेणी में पाँच सीटें थीं जिनके लिए आठ छात्रों ने अर्हता प्राप्त की थी, कि पहली परामर्श में 21.05.2013, एन. आर. आई. श्रेणी की पाँच में से चार सीटें मिलीं एम. डी. एनेस्थीसिया को अकेला छोड़ दिया गया जो खाली रह गया। दूसरी सलाह कथित स्थिति उस समय भी बनी रही जब तीसरी परामर्श से पहले, एक सीट एन. आर. आई. श्रेणी अर्थात एम. डी. जनरल मेडिसिन में खाली हो गया। तीसरी परामर्श, जैसा कि पहले कहा गया था, श्रेणी, यह कहा गया था कि पाँच छात्रों में से कोई भी उक्त सीटों के लिए चुना जा सकता है। इसके बाद यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने पूर्व संध्या पर

एम. डी. पैथोलॉजी में अपनी सीट छोड़ दी। उसे तीसरे में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए तीसरी परामर्श परामर्श देते हैं।

8. 31.07.2013 पर तीसरी परामर्श में कहा गया है कि सुबह 9 बजे शुरू हुआ और श्रेणी 'ए' में दो छात्र जो थे तीसरे और सातवें रैंक धारकों को बुलाया गया कि डॉ. शिती बोस, तीसरा रैंक धारक जिसने पहले एम. डी. पीडियाट्रिक्स का विकल्प चुना था एम. डी. डर्मेटोलॉजी को चुना, एक नया पाठ्यक्रम जो बन गया तीसरी परामर्श के समय उपलब्ध और उसके लिए एक सीट डॉ. ऋचा जिन्होंने पहले एम. एस. नेत्र विज्ञान का विकल्प चुना था और जिन्होंने उस सीट को समर्पण कर दिया जिसे एम. डी. पीडियाट्रिक्स के लिए चुना गया था जो तीसरी रैंक धारक डॉ. शिती बोस द्वारा खाली की गई थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, तीसरी परामर्श के बीच में, दूसरे उत्तरदाता ने घोषणा की कि रिक्त सीटें एन. आर. आई. श्रेणी को प्रायोजित श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा विवरण पत्रिका के अनुसार और इसलिए, उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था एम. डी. पैथोलॉजी की उसी सीट को फिर से चुनने के लिए जो वह पिछले दिन शाम को खाली हुई थी। यह आगे का मामला है याचिकाकर्ता की कि जब उसने स्थानांतरण के बारे में पूछताछ की एन. आर. आई. श्रेणी की रिक्त सीटें, दूसरा उत्तरदाता सूचित किया कि उन्हें डब्ल्यू. पी.(सी) सं.478/2012 में इस न्यायालय के आदेश की आवश्यकता है। इसे प्रायोजित श्रेणी में स्थानांतरित करने के लिए। उन्हें आगे सूचित किया गया कि यदि यह न्यायालय इस तरह के स्थानांतरण की अनुमति देता है, चौथी परामर्श होगी और चौथी परामर्श में उन्हें एम. डी. जनरल मेडिसिन के पाठ्यक्रम की पेशकश की जाएगी।

9. हालाँकि, यह बाद के पैराग्राफ में कहा गया है कि सभी छात्रों के लिए प्रवेश की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 'ए' श्रेणी में 31.07.2013 पर दोपहर 12.30

के आसपास, दूसरा उत्तरदाता ने श्रेणी से संबंधित छात्रों का एक रोल कॉल किया 'बी 'अर्थात 861 से 967 तक और उस समय तक रोल कॉल पूरा हो गया था और अन्य औपचारिकताएं थीं अंत में, समय लगभग 8 बजे का था और उसके बाद दूसरे उत्तरदाता ने अंततः एक नोटिस प्रकाशित करते हुए कहा कि पी. जी. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों की संख्या छह थी, अर्थात, एक श्रेणी 'ए' में सीट, श्रेणी 'बी' में तीन सीटें और दो सीटें एन. आर. आई. श्रेणी में। एन. आर. आई. श्रेणी की दो सीटों में से एक एम. डी. जनरल मेडिसिन थे।

10. जाहिर तौर पर दूसरे उत्तरदाता का रुख अतिरिक्त जवाबी हलफनामा यह है कि कोई संभावना नहीं थी एन. आर. आई. का उपलब्ध एम. डी. जनरल मेडिसिन पाठ्यक्रम। श्रेणी को सक्षम करने के लिए श्रेणी 'ए' में स्थानांतरित किया जा रहा है तारीख, जब तक ऐसा निर्णय लिया गया था, यह पहले से ही था। 8 अपराह्न और दूसरे उत्तरदाता को इसलिए अक्षम कर दिया गया था याचिकाकर्ता को अपने विकल्प का प्रयोग करने की अनुमति देने से। उस पर आधार पर, दूसरा प्रत्यर्थी के दावे का विरोध करेगा रिट याचिका में याचिकाकर्ता।

11. हमने श्री वी. के. बीजू को सुना, जो विद्वान वकील थे याचिकाकर्ता और श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील दूसरा उत्तरदाता। श्री बीजू ने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील सभी रिक्तियों को भरने के संबंध में विवरण पत्रिका में निहित स्थानांतरण के कारण तीसरी परामर्श के दौरान उत्पन्न होने वाली सीटें पहले से भर्ती उम्मीदवारों के पाठ्यक्रमों की घोषणा की जाएगी। तुरंत और अगले मेधावी को पेश किया जाएगा अर्थात् श्रेणी 'ए'। इस तरह के विशिष्ट पर्चे का उल्लेख करके विवरण-पत्र में निहित विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दूसरे उत्तरदाता ने एन. आर. आई. में रिक्ति को अधिसूचित किया है। जहाँ तक यह एम. डी. जनरल मेडिसिन से संबंधित है

30.07.2013 की शाम को उक्त रिक्त स्थान की पेशकश की जानी चाहिए थी तिथि पर प्रायोजित 'ए' श्रेणी के छात्रों के लिए सीट तीसरी परामर्श अर्थात 31.7.2013 पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निर्धारित का सख्ती से पालन करने के बजाय विवरण पत्रिका के तहत प्रक्रिया, दूसरे उत्तरदाता ने किया एम. डी. जनरल मेडिसिन की उक्त खाली सीट की पेशकश नहीं करते हैं एन. आर. आई. श्रेणी को प्रायोजित 'ए' श्रेणी में बताते हुए कि इस न्यायालय में कुछ कार्यवाहियाँ लंबित थीं, जो 01.08.2013 पर आदेशों के लिए पोस्ट किया गया और यह कि गुंजाइश होगी चौथी परामर्श के लिए जिसमें उक्त सीट की पेशकश की जाएगी प्रायोजित 'ए' श्रेणी के लिए। विद्वान सलाहकार, इसलिए, तर्क दिया कि इस तरह के पाठ्यक्रम को दूसरे सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट द्वारा अपनाया गया थ याचिकाकर्ता को वंचित करने की दृष्टि से प्रतिवादी जानबूझकर एम. डी. में उक्त खाली सीट का विकल्प चुनने के उसके वैध दावे के बारे में। जनरल मेडिसिन जिसने उन्हें फिर से उसी का विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया जिस पाठ्यक्रम को उन्होंने तीसरे दिन पहले खाली किया था परामर्श, अर्थात्, एम. डी. पैथोलॉजी या अन्यथा वह सीट भी हार गए हैं।

12. विद्वान वकील ने आगे बताया कि इस तरह के पाठ्यक्रम को दूसरे उत्तरदाता द्वारा कुछ के साथ अपनाया गया था पूर्ववर्ती उद्देश्य, जैसे कि उल्लिखित धनवापसी नियमों के अनुसार विवरण पत्रिका में, यदि कोई छात्र जो पहले ही शामिल हो चुका है पाठ्यक्रम दावे की वापसी की मांग करता है, इस तरह की वापसी की जाएगी प्रशासनिक शुल्क और किसी भी अन्य खर्च को समायोजित करने के बाद संस्था द्वारा उम्मीदवार के प्रति किया गया व्यय, बशर्ते कि खाली सीट को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा फिर से भरा जाता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी उम्मीदवार द्वारा खाली की गई सीट खाली रहती है, तो उम्मीदवार को पूरी अवधि के लिए शुल्क का भुगतान निश्चित

रूप से करना होगा। धनवापसी से संबंधित उपरोक्त नियम का उल्लेख करके, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता में था प्रायोजित 'ए' श्रेणी और जो सीट खाली हुई थी, वे संबंधित थीं एन. आर. आई. श्रेणी के लिए और यदि उक्त सीट की पेशकश की गई थी याचिकाकर्ता, वह उम्मीदवार जिसने एन. आर. आई. के तहत उस सीट को खाली किया। प्रशासनिक व्यय और अन्य व्यय उम्मीदवार वर्ग इसके अलावा पूरे शुल्क की वापसी का भी दावा कर सकता है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि दूसरा इसलिए, प्रत्यर्थी कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करना चाहता था यह रुख अपनाते हुए कि उन्होंने सीट खाली करने के बाद यह पूरा शुल्क लिया इसे फिर से भरा नहीं जा सका।

13. इसलिए विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब इस न्यायालय द्वारा परामर्श की अंतिम तिथि 31.07.2013, निर्धारित की गई थी। दूसरे उत्तरदाता में उचित नहीं था। याचिकाकर्ता से एक झूठा वादा करते हुए कि एक इस न्यायालय द्वारा कुछ मामलों में चौथे परामर्श के लिए गुंजाइश दी जा रही है। कार्यवाही जो इस न्यायालय में लंबित थी जिसमें आदेश दिए गए थे 01.08.2013 पर उच्चारण किया जाना था। उन्होंने आगे बोनी अन्ना जॉर्ज बनाम का विरोध किया। वास्तव में, दूसरे उत्तरदाता ने एक दायर किया केवल 04.08.2013 पर चौथी परामर्श के लिए आवेदन, डब्ल्यू. पी.(ग) 478/2013 में आई. ए. संख्या 3/2013 में जो था इस न्यायालय द्वारा 04.10.2013 पर भी खारिज कर दिया गया। एक अन्य कारक जिसे विद्वान वकील ने इंगित किया था कि 01.08.2013, इस न्यायालय ने केवल सरकारी कॉलेजों को अनुमति दी सभी खाली सीटों को भरने के लिए एक और परामर्श आयोजित करना।

14. योग और सार विवाद का याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील यह था कि समग्र आचरण दूसरे उत्तरदाता ने खुलासा किया कि एक था याचिकाकर्ता को वंचित करने का सुनियोजित और जानबूझकर प्रयास एक पाठ्यक्रम चुनने के अपने मूल्यवान

अधिकार का प्रयोग करते हुए जो वह वास्तव में करती है एम. डी. जनरल मेडिसिन से गुजरना चाहते थे, कि कहा कि पाठ्यक्रम बहुत उपलब्ध था और वह पूरी तरह से पात्र थी उम्मीदवार या तो एन. आर. आई. श्रेणी के तहत या प्रायोजित 'ए' श्रेणी।

15. उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के विपरीत श्री गिरि, दूसरे उत्तरदाता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने एक अतिरिक्त शपथपत्र के विस्तृत संदर्भ में तर्क दिया गया कि दूसरे उत्तरदाता का याचिकाकर्ता को एम. डी. जनरल मेडिसिन में सीट से वंचित करने का कोई इरादा नहीं था। अनुसार विद्वान वरिष्ठ वकील, दूसरा उत्तरदाता ईमानदारी से पर परामर्श आयोजित करने में प्रक्रिया का पालन किया तीसरी बार और चूंकि यह एन. आर. आई. श्रेणी के तहत एम. डी. जनरल मेडिसिन की उपलब्ध खाली सीट की पेशकश नहीं कर सका तीसरी परामर्श तिथि की समाप्ति, अर्थात् रात 8 बजे तक और आगे क्योंकि याचिकाकर्ता ने उसी सीट को फिर से चुना जो उसने पिछले दिन शाम को सुबह खाली किया गया तीसरी परामर्श तिथि, कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है दूसरा उत्तरदाता, उस शपथ पत्र में जिसका उल्लेख किया गया था विद्वान वरिष्ठ वकील दूसरे उत्तरदाता ने लिया मान लीजिए कि सुबह 9 बजे परामर्श शुरू होने के बाद, छात्रों में श्रेणी 'ए' को श्रेणीवार कहा जाता था। तीसरा रैंक धारक और सातवें रैंक धारक जो याचिकाकर्ता से ऊपर थे एक श्रेणी को पहले कहा जाता था, कि तीसरा श्रेणी धारक जो था पहले से ही एम. डी. पीडियाट्रिक्स में भर्ती ने अपनी सीट सरेंडर कर दी एम. डी. त्वचा विज्ञान के लिए चुनी गई तीसरी परामर्श में भाग लें जो एक नया कोर्स था, कि सातवीं रैंक धारक डॉ. ऋचा जिसे पहले से ही एम. एस. नेत्र विज्ञान में भर्ती कराया गया था बी ने उक्त पाठ्यक्रम को समर्पण करते हुए एम. डी. पीडियाट्रिक्स का विकल्प चुना और तदनुसार वे सीटें उम्मीदवारों को आवंटित की गईं। सुबह 9.55 जब याचिकाकर्ता की बारी आई जिसने पहले एम. डी. पैथोलॉजी में एक

सीट खाली की थी, उसी के लिए फिर से खोला गया सीट और उसे एक बार फिर से सुबह 10.15 प्रवेश करने की अनुमति दी गई। इसके बाद दूसरे उत्तरदाता के अनुसार श्रेणी 'ए' में सभी छात्रों के लिए विकल्प 12.30 द्वारा पूरा किया गया था. एम. 31.07.2013 पर और संबंधित छात्रों का एक रोल कॉल श्रेणी 'बी' 861 रैंक धारकों से 967 रैंक तक बनाई गई थी। धारकों को तीन बार उनके नाम बुलाकर और उन्हें चिह्नित करने के बाद डी अनुपस्थिति; जिस समय तक यह शाम 6.22 बजे था। परामर्श प्रक्रिया पूरी हो गई। यह आगे कहा गया कि स्थानांतरण एन. आर. आई. श्रेणी की सीट से प्रायोजित 'ए' श्रेणी की सीट हो सकती है उस दिन नहीं किया जाना चाहिए, भले ही कोई भी पात्र एन. आर. आई. न हो। श्रेणी के छात्र परामर्श के स्थान पर उपस्थित थे और वह उम्मीदवार जिसने सीट खाली की, अर्थात्, एम. डी. जनरल मेडिसिन अर्थात श्री प्रशांत तिमोती सदा तीसरी परामर्श में भाग लिया है और इनमें से किसी एक को चुना है। उपलब्ध सीटें, तीसरी परामर्श के लिए उपस्थित नहीं हुईं। यह. अंत में कहा गया है कि रात 8 बजे तक 31.07.2013 कॉलेज अंततः एफ ने पी. जी. पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों को दर्शाते हुए एक सूचना प्रकाशित की छह संख्या में यानी श्रेणी 'ए' में एक सीट, में तीन सीटें श्रेणी 'बी' और एन. आर. आई. श्रेणी में दो सीटें।

16. अपने रुख की पुष्टि करने के लिए कि कैसे दूसरे उत्तरदाता को उपलब्ध एन. आर. आई. की पेशकश करने से अक्षम कर दिया गया था। प्रायोजित 'ए' श्रेणी के लिए एम. डी. जनरल मेडिसिन में सीट छात्र, अर्थात्, याचिकाकर्ता, निम्नलिखित कथन है अतिरिक्त हलफनामे में कहा गया हैः

..... याचिकाकर्ता ने एम. डी. की सीट चुनी थी। 31/07/2013 पर तीसरे परामर्श सत्र में पैथोलॉजी श्रेणी ए की श्रेणी में, याचिकाकर्ता के पास होगा अनिवार्य रूप से उन्हें एम. डी. पैथोलॉजी की अपनी सीट छोड़नी पड़ी। उक्त सीट खाली होने के कारण, तब

पेशकश करनी होगी कॉलेज द्वारा नीचे रखे गए अन्य छात्रों को श्रेणी-सूची में याचिकाकर्ता ताकि उन्हें एक अवसर दिया जा सके उस सीट को चुनने के लिए। यदि उक्त सीट का चयन किया गया था एक इच्छुक छात्र द्वारा, उस विशेष की खाली सीट छात्र को आगे की पेशकश करनी होगी; और इसी तरह और तो आगे। इस प्रकार, परामर्श आयोजित करना होगा सभी छात्रों के लिए नए सिरे से, स्थानांतरण के कारण याचिकाकर्ता की सीट। इस प्रकार, अभ्यास सरल नहीं था। एक सीट को स्थानांतरित करने का अभ्यास; बल्कि एक जटिल अभ्यास जो द्वारा किया जाना था, इसके लिए पर्याप्त समय के बिना। यह होगा शाम को पूरा करना एक असंभव काम था 31/07/2013, सभी इच्छुक लोगों को पर्याप्त सूचना दिए बिना छात्रों को और उन्हें विकल्प चुनने का अवसर दिए बिना खाली सीटों के लिए। इसके अलावा, 31/07/2013 अंतिम है। सभी महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश/परामर्श आयोजित करने की तिथि द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में देश भर में यह माननीय न्यायालय, एक बाद का सत्र नहीं हो सकता था 31/07/2013 के बाद आयोजित किया गया था और न ही तीसरा अगली तारीख को परामर्श सत्र जारी है। देय इस असंभवता के साथ-साथ, एम. डी. मेडिसिन सीट में एनआरआई श्रेणी को परिवर्तित/स्थानांतरित नहीं किया जा सका उत्तरदाता महाविद्यालय।"

17. इसके अलावा दूसरे उत्तरदाता ने तर्क दिया कि डब्ल्यू. पी. (ग) का सं. 433/2013 (नीटे मामला) इससे पहले सूचीबद्ध किया गया था। अदालत और 01.08.2013 और इस अदालत पर आदेश के लिए तैनात किया गया था पूरा होने में हुई देरी को ध्यान में रखते हुए परामर्श प्रक्रिया ने भरने के लिए चौथी परामर्श प्रक्रिया की अनुमति दी रिक्तियों का केवल सरकारी कॉलेजों के लिए और निजी के लिए नहीं संस्थान, कि दूसरे प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय में आवेदन किया डब्ल्यू. पी.(ग) 4782013

की आई. ए. संख्या 3/2013 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की मांग करने के लिए का 07.08.2013 पर एक अतिरिक्त परामर्श सत्र के लिए और वह उक्त आई. ए. को इस न्यायालय ने 04.10.2013 पर खारिज कर दिया था।

18. इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गिरि ने तर्क दिया कि दूसरे उत्तरदाता का वंचित करने का कोई इरादा नहीं था उसके किसी भी तथाकथित मूल्यवान अधिकार की याचिकाकर्ता से बहुत कम है। एम. डी. जनरल मेडिसिन में खाली एन. आर. आई. सीट प्राप्त करने का अधिकार।

19. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद साथ ही दूसरे उत्तरदाता के रूप में, दावे की सराहना करने के लिए याचिकाकर्ता के साथ-साथ दूसरे प्रत्यर्थी का रुख, हम में प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित समझते हैं और खंड 10 जो यह निर्धारित करता है कि कैसे एक उम्मीदवार जिसके पास था सुरक्षित सीट को किसी भी खाली सीट का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकती है। उक्त प्रावधान इस प्रकार हैंः

> ''10 किसी पी. जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद परामर्श, सी. एम. सी. लुधियाना में, पहले वर्तमान पाठ्यक्रम को खाली करना होगा बैठने के लिए, पिछले दिन शाम 5 बजे तक (नियमों के अनुसार) और जाने दें स सीट को परामर्श के लिए भी रखा जाना चाहिए।
>
> धन वापसी के नियम
>
> 2. प्रवेश की अंतिम तिथि (31.05.2013) पर, पूर्ण शुल्क प्रशासनिक शुल्क और किसी भी अन्य खर्च को छोड़कर संस्था द्वारा उम्मीदवार

के प्रति किया गया खर्च होगा धनवापसी की गई, बशर्ते सीट सीट की स्थिति में भरी हुई हो प्रश्न में खाली रहता है, उम्मीदवार की आवश्यकता होगी पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए शुल्क का भुगतान करना।

वैकेंट सीटों को भरना

खाली सीटें (यदि कोई हों) हमारी वेबसाइट पर www.cmcludhiana.in /www.cmcludhiana.org और नोटिस बोर्ड पर पंजीयक कार्यालय पर समय-समय पर प्रदर्शित की जाएंगी कोई व्यक्तिगत बोनी अन्ना जॉर्ज बनाम नहीं होगा। संबंधित किसी भी उम्मीदवार को संचार किसी भी खाली सीट की स्थिति।

दूसरी परामर्श (यदि आवश्यक हो) तारीख को 30 अप्रैल 2013 को सुबह 10.00 पर आयोजित की जाएगी। कोई और परामर्श (यदि आवश्यक) हमारी वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा।

सी. एम. सी.-पी. जी. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी उम्मीदवार जाँच (उन लोगों सहित जो पहले ही ले चुके हैं) सी. एम. सी. में प्रवेश और जो इसमें अनुपस्थित थे पिछली परामर्श) रिक्त सीटों के लिए पात्र होगी उभर रहा है।

तीसरी परामर्श के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्त सीटें, देय पहले से ही भर्ती उम्मीदवारों से पाठ्यक्रमों को स्थानांतरित करने के लिए,

तुरंत घोषणा की जाएगी और उन्हें पेश किया जाएगा अगला मेधावी उम्मीदवार।

एनआरआई श्रेणी में आने वाली रिक्त सीटों को प्रायोजित श्रेणी से भरा जाएगा।

* Rs.13,000/- का प्रशासनिक शुल्क लिया जाएगा। उन उम्मीदवारों से जो पहले से ही भर्ती हैं लेकिन बाद की परामर्श।''

20. याचिकाकर्ता के रुख को ध्यान में रखते हुए और तीसरे में भागीदारी का उल्लेख करते हुए प्रासंगिक विवरण परामर्श के साथ-साथ दूसरे उत्तरदाता का रुख उस प्रक्रिया को, हम उसी तरह दोहराना नहीं चाहते हैं जैसे हमारे पास है पहले उसी का विस्तृत संदर्भ दिया था परिच्छेद। उन कारकों को ध्यान में रखते हुए, सबसे आगे जब हम में निहित प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हैं विवरण पत्रिका पर विचार करने से पहले उनके निहितार्थ को निर्धारित किया जा सकता है। दोनों पक्षों के रुख की शुद्धता या अन्यथा। के रूप में विवरण पत्रिका के अनुच्छेद 10 के अनुसार 'आवंटन' शीर्षक के तहत उम्मीदवार जो पहले से ही किसी पी. जी. पाठ्यक्रम में भर्ती है दूसरा प्रत्यर्थी संस्थान यदि इसमें भाग लेना चाहता है दूसरी या तीसरी परामर्श, पहले सीट खाली करनी होगी सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट पहले से ही उसके द्वारा पिछले दिन शाम 5 बजे तक रखा गया है ताकि उक्त सीट को अगले दिन परामर्शतिथि के लिए भी रखा जा सकता है।

21. रिक्त सीटों को भरने से संबंधित प्रावधान में कहा गया है कि सभी रिक्त सीटों को प्रदर्शित करना होगा समय-समय पर वेबसाइट के साथ-साथ नोटिस बोर्ड में

पंजीयक का कार्यालय हालांकि कोई व्यक्ति नहीं होगा दोनों उम्मीदवारों के लिए सीटें उपलब्ध होंगी जिनके पास प्रवेश परीक्षा पास करने वालों के साथ-साथ जिनके पास है पहले से ही दूसरे उत्तरदाता संस्थान में प्रवेश ले चुका है भले ही वे पिछली परामर्श में अनुपस्थित थे। यहाँ तक कि जैसा कि तीसरी परामर्श से संबंधित प्रक्रिया का संबंध है, यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि तीसरे के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियां पहले से ही भर्ती पाठ्यक्रमों के स्थानांतरण के कारण परामर्श उम्मीदवारों की घोषणा तुरंत की जाएगी और उन्हें प्रस्ताव दिया जाएगा। अगले मेधावी उम्मीदवार के लिए। जहाँ तक रिक्तियों की बात है एन. आर. आई. श्रेणी में उत्पन्न होने का संबंध है, यह बस कहा गया है कि इसे प्रायोजित श्रेणी से भरा जाएगा, अर्थात्, श्रेणी 'ए'। रू.13,000/का प्रशासनिक शुल्क उन उम्मीदवारों से शुल्क लिया जाएगा जो पहले से ही भर्ती थे और जिन्होंने किसी भी बाद के दौरान पाठ्यक्रम को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना परामर्श देते हैं। जैसा कि हम खाली एन. आर. आई. सीटों के बारे में चिंतित हैं, विवरणिका में निहित प्रावधान के अनुसार, यह केवल कहा गया है कि एन. आर. आई. श्रेणी की सीटें भरी जाएंगी प्रायोजित श्रेणी।

22. दूसरे उत्तरदाता के अनुसार, अपने संस्थान में 'ए' श्रेणी में उत्पन्न होने वाली किसी भी खाली सीट को पहले उक्त श्रेणी के अन्य छात्रों को दिया जाएगा। श्रेणी और उसके बाद ही उम्मीदवारों को इसकी पेशकश की जाएगी पात्र एन. आर. आई. उम्मीदवारों को पहले सीटें दी जाएंगी। और उसके बाद ही उन्हें प्रायोजित को प्रस्तुत किया जाएगा। श्रेणी, अर्थात् श्रेणी 'ए' हालांकि गुजरते हुए विवरण पत्रिका, इस तरह के एक पर्चे का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है इसमें चूंकि यह दावा किया जाता है कि इस तरह से इसका अभ्यास किया जा रहा था दूसरा उत्तरदाता संस्थान, हम नहीं बनाना चाहते हैं इस मोड़ पर उसी के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी। उक्त प्रथा को वैध

के रूप में और उसके अनुसार स्वीकार करना। रिक्तियों को भरने से संबंधित पर्चे के साथ विवरण पुस्तिका में उल्लिखित, हम शुद्धता का परीक्षण करना चाहते हैं एक प्रदान नहीं करने में दूसरे उत्तरदाता के रुख का याचिकाकर्ता को एन. आर. आई. की खाली सीट चुनने का अवसर एम. डी. जनरल मेडिसिन। याचिकाकर्ता के अनुसार दूसरे प्रत्यर्थी का रुख कि एन. आर. आई. की सीट खाली है सभी पात्रों को इस तरह का प्रस्ताव समाप्त होने के बाद ही पेश किया जाएगा। एन. आर. आई. उम्मीदवार आश्चर्यचकित हुए। यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता कि परामर्श के बीच में इस तरह का खुलासा याचिकाकर्ता को सदमे में डाल दिया गया और जाहिरा तौर पर इसलिए, याचिकाकर्ता को फिर से खोलने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया था यह सुनिश्चित करने के लिए कि एम. डी. पैथोलॉजी की एक ही सीट वह एक साल बर्बाद किए बिना अपना पाठ्यक्रम जारी रखने में सक्षम थी। यह याचिकाकर्ता का मामला यह भी था कि दूसरे उत्तरदाता ने उसे समझाया कि कुछ आदेश पारित किए जाने वाले हैं इस न्यायालय द्वारा 01.08.2013 पर चौथी परामर्श प्रदान करने पर और, इसलिए, याचिकाकर्ता के लिए अभी भी चौथी परामर्श में अपना दावा करने की गुंजाइश होगी।

23. जहाँ तक याचिकाकर्ता का उपरोक्त रुख है संबंधित, हम पाते हैं कि उपरोक्त दोनों बयानों को दूसरे उत्तरदाता द्वारा वस्तुतः स्वीकार किया गया था। इसके अनुसार भी दूसरा उत्तरदाता, कोई भी एन. आर. आई. सीट जो खाली हो सकती है पहली बार में केवल एन. आर. आई. उम्मीदवार को पेशकश की गई और इसके बाद ही इसे श्रेणी 'ए' में स्थानांतरित किया जा सका। यह भी है दूसरे प्रत्यर्थी का मामला कि डब्ल्यू. पी. में (ग) सं.433/2013 इस न्यायालय ने 30.07.2013 पर दलीलें सुनने के बाद पोस्ट किया यह 01.08.2013 पर आदेशों के लिए और दूसरे की पूरी तरह से निराशा के लिए प्रत्यर्थी, इस न्यायालय द्वारा आयोजित करने के लिए दी गई अनुमति चौथी

परामर्श केवल सरकार तक ही सीमित थी महाविद्यालयों को और निजी संस्थानों को नहीं 2 को भरने के लिए खाली सीटें, जहाँ तक दूसरे कथन का संबंध है, यह शुरुआत में ही कहा जाना चाहिए कि उक्त कारक हो सकता है जहाँ तक यह याचिकाकर्ता को वंचित करने से संबंधित है, कोई प्रासंगिकता नहीं है तीसरी परामर्श में उसे मौका चुनने के लिए। दूसरा ऐसी प्रत्याशा पर यह किसी को भी सुझाव दे सकता था, बहुत कम, याचिकाकर्ता के लिए कि एक प्राप्त करने के लिए उस आधार पर एक दावा खाली एन. आर. आई. श्रेणी में चौथी सीट का चुनाव किया जा सकता है। उस संबंध में, दूसरे उत्तरदाता का रुख इस न्यायालय के अनिवार्य निर्देशों का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया था। संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए निर्धारित समय अनुसूची के संबंध में पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की तारीख से ही आवेदन के लिए प्रारंभिक अधिसूचना और समापन तीसरी परामर्श के बाद प्रवेश। इसलिए, कोई भी इच्छा चौथी परामर्श के लिए मौका मिलने की गुंजाइश इस न्यायालय द्वारा, किसी भी तरह से, आश्वस्त नहीं किया जा सकता था दूसरा प्रतिवादी याचिकाकर्ता को एक अवसर से इनकार करने के लिए एम. डी. पैथोलॉजी से पाठ्यक्रम बदलने का विकल्प खोजें एम. डी. जनरल मेडिसिन को एक सीट के संबंध में जो पड़ी हुई थी 30.07.2013 पर जितनी जल्दी हो सके खाली हो गया और जो जारी रहा 31.07.2013, की तारीख के सुबह के सत्र से ही खाली रहता है तीसरी परामर्श, अर्थात्, उस दिन के अंत तक साथ ही, इस तारीख को भी।

24. जब हम दूसरे प्रत्यर्थी के स्टैंड पर आते हैं प्रत्यर्थी कि एन. आर. आई. श्रेणी की कोई भी खाली सीट होगी पहले केवल योग्य एन. आर. आई. उम्मीदवारों को प्रस्ताव दिया गया और उसके बाद यह श्रेणी 'ए' उम्मीदवारों को पेश किया जाएगा, यह कहा जाना चाहिए कि विवरण पत्रिका में निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन करते

हुए, हमें इसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिलता है। प्रावधान केवल एन. आर. आई. श्रेणी में आने वाली राज्यों की रिक्त सीटों को भरा जाएगा। प्रायोजित श्रेणी 'से ऊपर। अतः यह प्रावधान है कि यह स्पष्ट है कि खाली एन. आर. आई. सीटों को भरा जा सकता है। श्रेणी 'ए' उम्मीदवारों से ऊपर मान लीजिए कि एक होगा एक योग्य एन. आर. आई. उम्मीदवार के लिए पहले किसी भी खाली बोनी अन्ना जॉर्ज बनाम को चुनने का अधिकार। उस श्रेणी में सीट, उस मामले में भी दूसरा उत्तरदाता यह नहीं कह सकते कि उन्हें अनुपस्थित एन. आर. आई. की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उम्मीदवार तीसरे परामर्श सत्र के अंत तक उपस्थित रहेंगे और इस प्रकार 'ए' श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई गुंजाइश प्रदान नहीं करता है जो इस तरह के विकल्प का उपयोग करने के लिए आसानी से उपलब्ध थे और फिर भी उन्हें बिना किसी अन्य विकल्प कानूनी या तथ्यात्मक बाधा के अपने विकल्प का प्रयोग करने से वंचित करें।

25. इस संबंध में जब हम उस पर बनाए गए रुख का उल्लेख करते हैं अतिरिक्त शपथपत्र में दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से जिसे हमने विस्तार से निकाला है, हमें कोई औचित्य नहीं मिलता है याचिकाकर्ता को उससे वंचित करते हुए उक्त रुख में उस सीट को चुनने का अधिकार जो एन. आर. आई. उम्मीदवार द्वारा खाली की गई थी। पहली बार में इसमें निहित प्रावधानों में से कोई भी नहीं विवरणिका और विशेष रूप से भरने से संबंधित प्रावधान रिक्त सीटों का कोई विशिष्ट निषेध इस प्रभाव से कि उम्मीदवार जो पहले ही एक सीट हासिल कर चुका है और जिसके पास है उन्होंने पिछले दिन सीट खाली करने का विकल्प व्यक्त किया था एन. आर. आई. के तहत खाली सीट की उपलब्धता पर ध्यान देने के बाद। उसकी पसंद की श्रेणी उपलब्ध होनी चाहिए उसी के लिए फिर से परामर्श करने का अंतिम मौका है उसे यह बताकर बैठ जाएँ कि तब तक इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है तीसरे दिन की परामर्श का

अंत, जैसे, दूसरा उत्तरदाता अनुपस्थित एन. आर. आई. के पात्र होने की प्रतीक्षा करेगा। उम्मीदवारों के साथ-साथ कोई अन्य 'ए' श्रेणी के उम्मीदवार जो याचिकाकर्ता के पद से ऊपर हैं और जिन्होंने पहले ही विकल्प चुन लिया था उनकी सीटों की पसंद के लिए। हम भी कुछ स्वीकार्य नहीं पाते हैं। दूसरे उत्तरदाता के आचरण में तर्क या तर्क 867 से 961 के बीच अनुपस्थित 'बी' श्रेणी के उम्मीदवारों को तीन बार उनके नाम बुलाकर बुलाने की कवायद और इस तरह 12.30 बजे के बीच पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और शाम 6.22 बजे और अंत में, यह बताएँ कि उपलब्ध एन. आर. आई. रिक्त सीटों को श्रेणी 'ए' में स्थानांतरित करने के लिए कोई समय नहीं बचा था। ऐसा पाठ्यक्रम जो दूसरे उत्तरदाता द्वारा अपनाया गया है कम से कम [2014] 13 एस. सी. आर. द्वारा एक सबसे गैर-जिम्मेदाराना और अविवेकी आचरण था। जो कोई भी परामर्श आयोजित करने का प्रभारी था।

26. चूंकि, श्री गिरि, दूसरे के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दूसरी प्रत्यर्थी संस्था यह एक सदियों पुराना संस्थान है और अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, हम एक उत्कृष्ट तरीके से बताएँ कि इस तरह के पाठ्यक्रम द्वारा अपनाया गया दूसरे उत्तरदाता ने अंततः याचिकाकर्ता को वंचित कर दिया उसकी पसंद के पाठ्यक्रम को चुनने का मूल्यवान अधिकार, जो बहुत था बहुत उपलब्ध है और दूसरे का अयोग्य आचरण उत्तरदाता बेहद गैरजिम्मेदार और असहनीय था। हम इस पर ध्यान देते हुए अपनी गहरी पीड़ा भी व्यक्त करना चाहते हैं। दूसरे उत्तरदाता का व्यवहार करने में निंदनीय आचरण याचिकाकर्ता के अधिकार के साथ इस तरह के आकस्मिक तरीके से जिसके द्वारा वह बहुत जुनून से इंतजार कर रही थी और वह कोर्स जो था उसके विकल्प के लिए बहुत उपलब्ध है।

27. इस संबंध में देखने पर, हम समर्पण में बल पाते हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कि ऐसा आचरण तीसरे के दौरान दूसरे उत्तरदाता द्वारा प्रदर्शित परामर्श को एक हानिरहित कदम भी नहीं कहा जा सकता है शुल्क की वापसी से संबंधित नियम का संदर्भ। यह होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि एन. आर. आई. सीट के लिए निर्धारित शुल्क है अमेरिकी डॉलर 1,25,000 जो लगभग रू.75 लाख के बराबर है। 'ए' श्रेणी के लिए रुपये 3,98,000/- के वार्षिक शुल्क के मुकाबले उम्मीदवार रिफंड नियमों के अनुसार, जब कोई खाली करता है प्रवेश की अंतिम तिथि पर सीट, वह हकदार है प्रशासनिक शुल्क और किसी भी अन्य शुल्क को छोड़कर पूरे शुल्क की वापसी संस्थान द्वारा उम्मीदवार के प्रति किए गए खर्च। हालांकि, सीट होने पर पूरे शुल्क का ऐसा रिफंड करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार द्वारा खाली किए गए पद को संस्थान द्वारा भरा नहीं जा सका। इसलिए, जब हाथ में मामला है, तो एम. डी. जनरल मेडिसिन की एन. आर. आई. सीट को खाली कर दिया गया था और यदि सीट से भरा गया था 'ए' श्रेणी का उम्मीदवार तब दूसरा उत्तरदाता होगा एन. आर. आई. उम्मीदवार द्वारा भुगतान किए गए पूरे शुल्क को वापस करने के लिए बाध्य होना। प्रशासनिक खर्चों और अन्य खर्चों को छोड़कर उम्मीदवार की ओर। चूंकि, दूसरा उत्तरदाता था अंततः सीट नहीं भरने में सफल रहे और इस तरह धनवापसी नियमों को लागू करते हुए, संबंधित एन. आर. आई. उम्मीदवार को आवश्यकता है इस आधार पर पूरे शुल्क के साथ वापस नहीं किया जाएगा कि सीट उनके द्वारा खाली किए गए स्थान को दूसरे उत्तरदाता द्वारा भरा नहीं जा सका। दूसरे द्वारा प्रदर्शित अयोग्य आचरण के संदर्भ में प्रत्यर्थी, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उक्त तर्क क्यों दिया गया याचिकाकर्ता की ओर से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हम दूसरे की ओर से कोई स्वीकार्य निवेदन नहीं पाते हैं। उत्तरदाता की ओर से किए गए इस तरह के तर्क का खंडन करने

के लिए याचिकाकर्ता। इन आधारों पर भी हम आश्वस्त हैं कि दूसरा प्रतिवादी याचिकाकर्ता को उसका प्रयोग करने से वंचित करने में उपलब्ध एन. आर. आई. श्रेणी की सीट चुनने का अधिकार, जबकि कानून में, 07.08.2013 पर चौथी परामर्श आयोजित करना जिसे अस्वीकार कर दिया गया था इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2013 आदेश द्वारा यह भी सुझाव दिया गया है कि दूसरे उत्तरदाता के स्टैंड में ईमानदारी की पूरी कमी थी।

28. पूरा समय, दूसरा प्रत्यर्थी यह रुख अपना रहा था कि इस न्यायालय ने एक अनुदान देने की गुंजाइश सुनी है 30.07.2013 पर चौथी परामर्श पोस्ट की गई और पारित की गई चौथे के लिए 01.08.2013 पर उपयुक्त आदेश केवल सरकारी कॉलेजों के लिए परामर्श और निजी संस्थान के लिए नहीं। इसलिए, हम दूसरे उत्तरदाता के आवेदन करने के लिए किसी भी आधार को समझने में असमर्थ हैं। 04.08.2013 उसी राहत के लिए यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था। दूसरा उत्तरदाता जाहिर तौर पर न केवल अपने लिए बल्कि अपने लिए भी एक झूठी उम्मीद पैदा कर रहा था उम्मीदवारों के लिए जैसे कि हर प्रामाणिक प्रयास थे उम्मीदवारों के हित में इसके द्वारा लिया गया। इसलिए, दूसरे उत्तरदाता द्वारा अपनाए गए पाठ्यक्रम में अपने दृष्टिकोण में वास्तविकता का गंभीर रूप से अभाव था।

29. हमारे उपरोक्त निष्कर्षों को देखते हुए, हम हैं आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ता को अवसर से वंचित करना एम. डी. जनरल मेडिसिन में उपलब्ध एन. आर. आई. सीट का चयन करें। तीसरी सलाह पर पहुँचना पूरी तरह से अनुचित था। उपरोक्त निष्कर्ष जब हम अनुदान के प्रश्न पर आते हैं इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत के लिए, याचिकाकर्ता ने दूसरे को निर्देशित करने के लिए मैंडमस की मांग की प्रत्यर्थी को अपने पी. जी. पाठ्यक्रम को एम. डी. से स्थानांतरित

करने की अनुमति देना। उपलब्ध रिक्तियों में एम. डी. जनरल मेडिसिन के लिए पैथोलॉजी बैठने के लिए। हालाँकि, हमने पाया है कि दूसरा प्रतिवादी उक्त खाली सीट उपलब्ध नहीं कराने में पूरी तरह से अनुचित था याचिकाकर्ता को, चिकित्सा द्वारा निर्धारित प्रवेश अनुसूची के रूप में भारतीय परिषद और इस न्यायालय का ईमानदारी से पालन किया जा रहा है। हम उक्त का उल्लंघन करने के लिए कोई असाधारण स्थिति नहीं पाते हैं। हमारे द्वारा तय की गई अनुसूची। हमने विभिन्न निर्णयों में यह माना है कि समय अनुसूची का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और कोई मध्य नहीं होना चाहिए धारा में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए हम नहीं हैं। याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना के अनुसार ऐसा निर्देश देने के लिए इच्छुक। हालांकि, गंभीर अन्याय को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी दूसरे पर है उत्तरदाता, हम आश्वस्त हैं कि दूसरे उत्तरदाता को ऐसा करना चाहिए उचित भुगतान के दायित्व के साथ विचार किया जाए याचिकाकर्ता को उसे छीनने के लिए मुआवजा मूल्यवान अधिकार। हालाँकि, हम पूरी तरह से उचित होते हम महसूस करते हैं कि मुआवजे के रूप में अनुकरणीय राशि का निर्देशन करना रुपये की उक्त राशि का भुगतान करें। रू.13,000/- की राशि जो याचिकाकर्ता को उसके लिए चुकानी पड़ी एम. डी. पैथोलॉजी के उसी पी. जी. पाठ्यक्रम में पुनः प्रवेश। हमें विश्वास है कि चूंकि याचिकाकर्ता केवल इसके लिए लड़ रहा था उसके वैध अधिकारों का इसमें कोई प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे उत्तरदाता का दृष्टिकोण उसका पाठ्यक्रम पूरा करना जो उसकी पढ़ाई में या पढ़ाई में कोई व्यवधान पैदा करेगा। यह याचिकाकर्ता के लिए हमेशा खुला रहेगा। उपयुक्त फोरम से संपर्क करने के लिए या उस मामले के लिए भी इस बोनी अन्ना जॉर्ज अदालत उसकी शिकायतों के निवारण की मांग करेगी, यदि उस पर कोई हो अंक प्राप्त करें। रुपये 5,00,000/- के मुआवजा का

भुगतान किया जाएगा प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता इस आदेश से। रिट याचिका की आंशिक रूप से ऊपर बताई गई सीमा तक लागत सहित अनुमति दी गई है।

निधि जैन

रिट याचिका की आंशिक रूप से अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।